

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 218/2025

अनवान :-

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति बावरी निवासी साबुआना त० टिब्बी ।
2. सुखदेवसिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति बावरी निवासी साबुआना त० टिब्बी ।
3. मंगल सिंह पुत्र नानकसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी ।

वादीगण

बनाम

1. भगवान कौर पत्नी श्रवणसिंह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी ।
2. दर्शना पुत्री श्रवणसिंह जाति बावरी निवासी साबुआना त० टिब्बी ।
3. शान्ति कौर पुत्री श्रवणसिंह जाति बावरी निवासी साबुआना त० टिब्बी ।
4. रामप्यारी पुत्री नानक उर्फ नानकराम उर्फ नानक सिंह पत्नी दरवार सिंह जाति बावरी निवासी तख्तहजारा त० सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
5. रामादेवी पुत्री नानक उर्फ नानकराम उर्फ नानकसिंह पत्नी बलीराम जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
6. हरफूल सिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति बावरी निवासी हाथियावाला त० सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
7. दर्शनसिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति बावरी निवासी हाथियावाला त० सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।
9. कालू पुत्र बुधराम जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
10. पार्वतीदेवी पुत्री करतारसिंह पत्नी सरजीतसिंह जाति बावरी निवासी चक 2एमकेएस ढाणी गुड़िया त० टिब्बी ।
11. सुरजीत कौर पुत्री करतारसिंह पत्नी गुरदेवसिंह जाति बावरी निवासी ऐलनाबाद त० ऐलनाबाद जिला सिरसा ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी परमजीतसिंह व अरविन्द नैण अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं० 2 एसबीएन के खाता सं० 78/76 व चकनं० 2 एफटीपी के खाता सं० 53/45, चक 9 केएचआर के खाता सं० 13/12 व चक 2 एसबीएन के खाता सं० 24/20 में वादीगण व प्रतिवादीया सं० 10 व 11 के हिस्सा की घोषणा की जाकर निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है -

क.वादी सं० 1 व 2 को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी :- चकनं० 2 एस. बी. एन के प०न० 225/206 मु० 43 किलानं० 18, 21, 22, 23 प्रत्येक .253 है०, प०न० 225/207 मु० 48 किलानं० 3/.253 है०, 8/2/.047 है०, 9/2/.023 है०, चकनं० 9 केएचआर के प०न० 222/220 मु० 21 किलानं० 10/2/.1012 है० दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम

ख. वादी सं० 3 को प्राप्त आराजी: - चनं० 2 एस.बी.एन प०न० 225/207 मु० 48 किलानं० 1/.253, 2/.253, 10/2/.047, 9/2/.024, चकनं० 2 एफटीपी के प०न० 223/230 मु० 19 किलानं० 3,8,9, 11, 12, 13, चक नं० 9 केएचआर के प०न० 222/220 मु० 21 किलानं० 1/.234, 10/1/.1328 उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम, 11/.234, 20/.

मु० 21 किलानं० 1/.234, 10/1/.1328 उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम, 11/.234, 20/.

अधिकारी
चक कलेक्टर
टिब्बी

ग. प्रतिवादीया सं० 10 पार्वतीदेवी पुत्री करतारसिंह व प्रतिवादीया सं० 11 सुरजीत कौर पुत्री करतारसिंह बहिस्सा बराबर - चक नं० 2 एसबीएन खाता सं० 24/20 प०न० 225/207 मु० 48 किलानं० 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13 कुल 1.325 है० इसी अनुसार वादीगण का खाता-व लगान अलग से कायम किया जाकर चक 9 केएचआर से करतार कौर का नाम कलमजन, चक न० 2 एफटीपी से करतार, नानक, नानकी, लालू व चक 2 एसबीएन से नानकराम, नानकी, करतार, कालू का नाम कलमजन व चक चक नं० 2 एसबीएन खाता सं० 24/20 में करतारसिंह पुत्र बुधराम का नाम कलमजन किया जावे। इसी अनुसार यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 15/01/26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
दिल्ली जिला हनुमानगढ़